



प्रेस नोट

दिनांक 14.12.2025

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.12.2025 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा ग्राम बरौली खरका से अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत व आकाश पुत्र वीरसिंह को एक अदद तमंचा 315 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विवरण अभियुक्तगण-

- 1-अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत (उम्र 23 वर्ष) निवासी परा थाना राठ जनपद हमीरपुर।
- 2-आकाश पुत्र वीरसिंह (उम्र 23 वर्ष) निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा जनपद।

अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0-620/2022 थाना राठ
- 2- मु0अ0स0-139/2023 थाना राठ
- 3- मु0अ0स0-249/2024 थाना मुस्करा

आकाश पुत्र वीरसिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स-0673/22 थाना राठ
- 2-मु0अ0स-184/23 थाना जरिया
- 3-मु0अ0स-214/23 थाना केतवाली नगर
- 4-मु0अ0स-67/23 थाना मुस्करा
- 5-मु0अ0स-249/24 थाना मुस्करा

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 सूर्यभान सिंह
- 2.का0 अभिषेक तिवारी
- 3.का0 शिवम यादव

